न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
161/2022	07-04-2022	08/07/2022

उनवान

01. राकेश पुत्र शेरसिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदयपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

----:: वादी

बनाम

01. नारायण पुत्र गुगन
02. नारायणी
03. शकुन्त पुत्रीयान गुगन
04. मुंशीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर
05. माया पत्नी रामसिंह जाति कोली निवासी खंडेवला तहसील पहाडी जिला भरतपुर
06. लता पत्नी रघुवीर
07. ताराचन्द पुत्र रामचन्दर
08. फूलवती पत्नी रामचन्दर
09. असरफी पुत्री फूलसिंह जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर
10. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब टपूकडा जिला अलवर
11. शाखा प्रबन्धक ओबीसी शाखा भिवाडी जिला अलवर
12. शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा मिलकपुर गुर्जर जिला अलवर

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। विवादित आरजी में निरंजनलाल पुत्र रामचन्दर व बत्तो पत्नी फूलसिंह का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। निरंजनलाल लावल्द बिला औरत फौत हो गया है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 क्रमशः ताराचन्द भाई व फूलवती माता है। जिनके नाम अभी मृतक निरंजनलाल का विरासत इंतकाल दर्ज व मंजूर नहीं हुआ है तथा बत्तो का भी देहान्त हो चुका है। जिसकी वारिसा प्रतिवादी संख्या 9 असरफी है। प्रतिवादी संख्या 9 असरफी का मुताबिक जमाबन्दी अपना हिस्सा है तथा माता मृतक बत्तो का हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 9 असरफी को विरासत से मिला है। मृतक बत्तो का विरासत इंतकाल अभी प्रतिवादी संख्या 9 असरफी के नाम दर्ज व मंजूर नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादी का 20167/45648 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक तौर पर आराजी का बंटवारा मौखिक तौर पर किया हुआ है। जिस मौखिक बंटवारे के अनुसार मिन वादी, विवादित आराजी में अपने 20167/45648 हिस्से पर व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 मुताबिक जमाबन्दी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है। केवल मात्र रिकार्ड में संयुक्त का अंकनं दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य लिखित में तकासमा

उपखण्ड अधिकारी

...ण्डस तकासमा नहीं हुआ है। मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 ...ज व दाखिल है। राजस्व रिकार्ड में संयुक्त का अंकन दर्ज रिकार्ड है। हाल आराजी ... रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित ...न वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त विवादित आराजी में ... वादी का 20167/45648 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। मौखिक आपसी सहमति से हुये बंटवारे के अनुसार मिन वादी विवादित आराजी में अपने 20167/45648 हिस्सा की भूमि पर काबिज व दाखिल है तथा मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा है के अनुसार तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराकर अलग से कुर्रेजात कायम कर व अलग से लगान खाता कायम कराकर मिन वादी तकासमा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण 1 लगायत 3, 5, 7 लगायत 9 अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वाद में उपस्थित उभयपक्षकारान ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 17-05-2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/6258 दिनांक 27-06-2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। वकुलाय ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
01.	राकेश पुत्र शेरसिंह जाति मेघवाल सा. उदयपुर खातेदार	571/1	1.4005	3.86
02.	असरफी पुत्री फूलसिंह हि0 881/17695, नारायण पुत्र गुगन हि0 587/17695, नारायणी पुत्री गुगन हि0 587/17695, निरंजन लाल पुत्र रामचन्दर हि0 3522/17695, बत्तो पत्नी फूलसिंह हि0 881/17695, मुंशीराम पुत्र सुखराम हि0 7044/17695, लतादेवी पत्नी रघुवीर सिंह हि0 1981/17695, शुकन्त पुत्री गुगन हि0 587/17695 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, माया पत्नी रामसिंह हि0 1625/17695 जाति कोली सा. खंडेवला तह. पहाडी जिला भरतपुर खातेदार हि0 निरंजनलाल, लता राहिन ओ.बी.सी. भिवाडी, हि0 मुन्शीराम राहिन पी.एन.बी. मिलकपुर गुर्जर	571/2	1.7695	4.89

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

[illegible] नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
[illegible]/2022	07-04-2022	08/07/22

उनवान

01. राकेश पुत्र शेरसिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदयपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: वादी

बनाम

01. नारायण पुत्र गुगन
02. नारायणी
03. शकुन्त पुत्रीगान गुगन
04. मुंशीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर
05. माया पत्नी रामसिंह जाति कोली निवासी खंडेवला तहसील पहाडी जिला भरतपुर
06. लता पत्नी रघुवीर
07. ताराचन्द पुत्र रामचन्दर
08. फूलवती पत्नी रामचन्दर
09. असरफी पुत्री फूलसिंह जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर
10. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब टपूकडा जिला अलवर
11. शाखा प्रबन्धक ओबीसी शाखा भिवाडी जिला अलवर
12. शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा मिलकपुर गुर्जर जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम झिवाणा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
01.	राकेश पुत्र शेरसिंह जाति मेघवाल सा. उदयपुर खातेदार	571/1	1.4005	3.86
02.	अरारफी पुत्री फूलसिंह हि0 881/17695, नारायण पुत्र गुगन हि0 587/17695, नारायणी पुत्री गुगन हि0 587/17695, निरंजन लाल पुत्र रामचन्दर हि0 3522/17695, बत्तो पत्नी फूलसिंह हि0 881/17695, मुंशीराम पुत्र सुखराम हि0 7044/17695, लतादेवी पत्नी रघुवीर सिंह हि0 1981/17695, शुकन्त पुत्री गुगन हि0 587/17695 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, माया पत्नी रामसिंह हि0 1625/17695 जाति कोली सा. खंडेवला तह. पहाडी जिला भरतपुर खातेदार हि0 निरंजनलाल, लता राहिन ओ.बी.सी. भिवाडी, हि0 मुन्शीराम राहिन पी.एन.बी. मिलकपुर गुर्जर	571/2	1.7695	4.89

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।
आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज.